प्राक्कथन

खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 को देश में खाद्य संरक्षा से संबंधित विविध नियमों का समेकन करने के लिए, एकल बिंदु संदर्भ प्रणाली स्थापित करने के लिए तथा खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तैयार करने एवं उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए तथा मानव उपयोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विनियामक और प्रशासनिक तंत्र की प्रभावकारिता, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अवसंरचना और मानव संसाधन कार्यतंत्र, अधिनियम के अनुसार लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाओं का अनुपालन, निरीक्षण, नमूनाकरण और अभियोजन प्रक्रिया के लिए व्यवस्था की उपस्थिति, खाद्य वस्तुओं के आयात का विनियमन, शिकायत निवारण के लिए तंत्र, तथा एफएसएसएआई की आईईसी (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) की प्रभावकारिता की परीक्षा का प्रयत्न किया गया है।

लेखापरीक्षा में विभिन्न विनियमों और मानकों के निर्धारण में विलंब और कमियों सहित प्रणालीगत अक्षमताओं का पता चला। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिनियम द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करके विनियमों में संशोधन किया गया। खाद्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरण करने हेतु अधिकृत प्रयोगशालाओं में से अधिकांश में न केवल उपकरणों की कमी थी बल्कि उनके पास राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) का प्रत्यायन भी नहीं था। लाइसेंसिंग, पंजीकरण, निरीक्षण, नमूना चयन तथा अभियोजन संबंधी प्रवर्तन कार्यवाहियाँ अपर्याप्त पाई गयी। एफएसएसएआई भर्ती विनियमों के अंतिमीकरण में विफल रहा। अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति में भी अनियमतताएँ देखी गयी।

यद्यपि निष्पादन लेखापरीक्षा 2011-2012 से 2015-2016 की अवधि के लिए की गई, बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, आवश्यकतानुसार, शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जिसमें खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा के परिणाम शामिल हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।